फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोविन्दसिंह　　　　विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम　　　　पत्रावली संख्या : 37/19

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में भेरूसिंह पिता किशोरसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम गोविन्दसिंह पिता किशोरसिंह है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें भेरूसिंह व गोविन्दसिंह को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादी द्वारा पहचान स्वरूप मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड, स्कॉलर प्रमाण पत्र, पट्टे की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादी का नाम गोविन्दसिंह दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली के अनुसार भेरूसिंह व गोविन्दसिंह एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मानखण्ड पटवार हल्का मोरठ की आराजी नम्बर 22, 26 किता 2 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी का नाम भेरूसिंह पिता किशोरसिंह के बजाय भेरूसिंह उर्फ गोविन्दसिंह पिता किशोरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:23 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री गोविन्दसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी मानखण्ड तह. मावली।

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 37/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00058

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मानखण्ड पटवार हल्का मोरठ की आराजी नम्बर 22, 26 किता 2 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी का नाम भेरूसिंह पिता किशोरसिंह के बजाय भेरूसिंह उर्फ गोविन्दसिंह पिता किशोरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:23 IST
Reason: SelfAttested